अनुदान संख्या 40 - भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
GRANT No. 40 – INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving- (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged–*				
मूल	*Original*	*78,83,00*	*86,61,00*	*84,25,19*	*-2,35,81*
पूरक	*Supplementary*	*7,78,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	24,79,66,00	25,61,55,00	25,63,60,98	+2,05,98
पूरक	Supplementary	81,89,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted–		10,00,00	4,59,69	-5,40,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*₹235.81 लाख*) मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए *₹778.00 लाख* के पूरक *विनियोग* का 30 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 3 प्रतिशत थीं।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*₹235.81 lakhs*) constituted 30 percent of the supplementary *appropriation* of *₹778.00 lakhs* obtained in March, 2013 and 3 percent of the total sanctioned *appropriation*.

Saving occurred under the following major head:-

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "2016"	Major Head "2016"					
लेखा परीक्षा	Audit					
मू.	*O.*	*7883.00*		*8661.00*	*8425.19*	*-235.81*
पू.	*R.*	*778.00*				

(I) "भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक - संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षा इकाई" के अंतर्गत *₹189.17 लाख* की बचत (*₹334.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) विदेश मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र/समुद्रपार कार्यालयों के बीच लेखों का समाधान न किए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Comptroller and Auditor General of India – U.N. Audit Unit" – saving of *₹189.17 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹334.00 lakhs)* was due to non reconciliation of accounts between Ministry of External Affairs and UN/Overseas offices.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, यद्यपि मार्च, 2013 में ₹8189.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था, व्यय स्वीकृत प्रावधान से ₹205.98 लाख अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय ₹2,05,98,350 था)। **इस अधिक व्यय को संसद से अनुदानों की अधिक मांगे स्वीकृत करवाकर विनियमित कराए जाने की आवश्यकता है।**

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, although supplementary grant of ₹8189.00 lakhs was obtained in March, 2013, the expenditure exceeded the sanctioned provision by ₹205.98 lakhs (actual excess was ₹2,05,98,350). **The excess requires regularization by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुआ/हुईं:-

Excess/savings occurred under the following major head:-

मुख्य शीर्ष "2016"	Major Head "2016"				
लेखा परीक्षा	Audit				
मू.	O.	247966.00	256155.00	256360.98	+205.98
पू.	S.	8189.00			

(I) "डाक और दूरसंचार लेखा परीक्षा कार्यालय - क्षेत्र कार्यालय" के अंतर्गत ₹323.60 लाख का अधिक व्यय (₹7535.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(I) Under "Posts and Telecommunications Audit Offices - Field Offices" – excess of ₹323.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7535.00 lakhs); and

(II) "रेलवे लेखा परीक्षा कार्यालय - क्षेत्र कार्यालय" के अंतर्गत ₹1791.84 लाख का अधिक व्यय (₹12737.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम की बकाया राशि की अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और रिक्त पदों को भरे जाने के कारण हुआ।

(III) "समुद्रपार लेखा परीक्षा कार्यालय - क्षेत्र कार्यालय" के अंतर्गत ₹345.12 लाख का अधिक व्यय (₹100.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹1678.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिंगापुर में क्षमता निर्माण कार्यक्रम संबंधी विदेश यात्रा के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और अधिक चिकित्सा दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

3. उपर्युक्त अधिक व्यय बचतों द्वारा निम्नानुसार आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया:-

(I) "अन्य व्यय - राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी, शिमला" के अंतर्गत ₹770.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹80.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹850.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹109.94 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूरा न किए जाने और संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम के बकाया दावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दशाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) "सिविल लेखा परीक्षा और लेखा कार्यालय"-

(क) "सिविल लेखा परीक्षा कार्यालय" - ₹117784.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2679.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹120463.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, लेखा परीक्षा दलों द्वारा कम

(II) Under "Railway Audit Offices – Field Offices" – excess of ₹1791.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12737.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards payment of modified assured career progression scheme arrears and filling up of vacant posts.

(III) Under "Overseas Audit Offices – Field Offices" – excess of ₹345.12 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1678.00 lakhs including supplementary grant of ₹100.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards foreign travel on account of capacity building programme in Singapore and receipt of more medical claims.

3. The above excess was partly offset by savings as under: -

(I) Under "Other Expenditure – National Academy of Audit and Accounts, Shimla" – the original provision of ₹770.00 lakhs was augmented to ₹850.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹80.00 lakhs. However, there was a saving of ₹109.94 lakhs (including supplementary grant) – due to non completion of work by Central Public Works Department and non-finalization of modified assured career progression scheme arrear claims.

(II) Supplementary grant obtained under the following heads remained unutilized to the extent as shown against each: -

(A) "Civil Audit and Accounts Offices" –

(a) "Civil Audit Offices" – the original provision of ₹117784.00 lakhs was augmented to ₹120463.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2679.00

दौरे किए जाने, यात्रा भत्ते का दावा पुरानी दरों पर किए जाने, सेंटौर होटल, श्रीनगर, देहरादून द्वारा किराया बिल प्रस्तुत न किए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूरा न किए जाने के कारण ₹1480.13 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹1480.13 lakhs - due to less tours by audit parties, claiming of travelling allowance at old rates, non-submission of rental bills by Centaur Hotel, Srinagar, Dehradun and non-completion of work by Central Public Works Department.

(ख) "सिविल लेखा कार्यालय" - ₹90459.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹4930.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹95389.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, माड्युलर फर्नीचर की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने और आईटी विक्रेताओं को देर से अंतिम रूप दिए जाने के कारण ₹242.22 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "Civil Accounts Offices" – the original provision of ₹90459.00 lakhs was augmented to ₹95389.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4930.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹242.22 lakhs - due to non-finalisation of proposal for purchase of modular furniture and late finalization of IT vendors.

(खा) "रक्षा लेखा परीक्षा कार्यालय - क्षेत्र कार्यालय" - ₹5147.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹400.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹5547.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹166.78 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(B) "Defence Audit Offices – Field Offices" - the original provision of ₹5147.00 lakhs was augmented to ₹5547.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹400.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹166.78 lakhs; and

(III) "वाणिज्यिक लेखा परीक्षा कार्यालय - क्षेत्र कार्यालय" के अंतर्गत ₹339.50 लाख की बचत (₹11067.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(III) Under "Commercial Audit Offices – Field Offices" - saving of ₹339.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11067.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम की बकाया राशि के दावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of modified assured career progression scheme arrear claims.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works	500.00	203.15	-296.85
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing	500.00	256.54	-243.46

(I) मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - अन्य व्यय - तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण" के अंतर्गत ₹296.85 लाख की बचत हुई; और

(I) Under Major Head "4059" – "Office Buildings – Other Expenditure – Acquisition of ready built Accommodation" – saving of ₹296.85 lakhs; and

(II) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों के लिए आवास स्कीमें - तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण" के अंतर्गत ₹243.46 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(II) Under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – Housing Schemes for employees of IA&AD – Acquisition of ready built flats" – saving of ₹243.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें दिल्ली और शिमला में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूरा न किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-completion of work by Central Public Works Department at Delhi and Shimla.